राज्य सभा सचिवालय
राजभाषा प्रभाग

सं. रा.स. 1/2/2019-रा.भा.प्र. दिनांक: 9 अप्रैल, 2019

परिपत्र

विषय: दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 तक की तिमाही के दौरान हिन्दी में किए गए कार्य का ब्यौरा।

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अन्तर्गत बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के विभिन्न उपबंधों में यह अपेक्षा की गई है कि भारत सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। तदनुसार, राज्य सभा सचिवालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सचिवालय में प्रत्येक अनुभाग/शाखा के प्रभारी से यह अपेक्षित है कि वह अनुभाग में मूल रूप से हिन्दी में किए गए कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा राजभाषा प्रभाग को उपलब्ध कराए।

अत: अनुरोध है कि **दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 तक की तिमाही** के दौरान मूल रूप से हिंदी में किए गए कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न **प्रपत्र** में भरकर राजभाषा प्रभाग को **दिनांक 30.04.2019 तक** अवश्य भेज दें।

ह0/-

(राघवेन्द्र राव)
संयुक्त निदेशक (प्रभारी)
दूरभाष: 23724714

सेवा में,

सभी अनुभाग/शाखाएं,
राज्य सभा सचिवालय।

प्रपत्र (प्रोफार्मा)

<u>सभी अनुभागों/शाखाओं के लिए</u>

राज्य सभा सचिवालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट

तिमाही : ....

अनुभाग/शाखा का नाम : ....

दूरभाष सं0 : ....

1. **राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए गए कागजात (राजभाषा नियम-6)**

<u>**किस भाषा में जारी किए गए**</u>

जारी किए गए कागजात	कुल संख्या	द्विभाषी रूप में	केवल हिन्दी में	केवल अंग्रेजी में
क. सामान्य आदेश*				
ख. अधिसूचनाएं				
ग. प्रेस विज्ञप्तियां/प्रेस नोट				
घ. संविदाएं (कांट्रेक्ट)				
ङ टेंडर के फार्म और नोटिस				

2. **प्राप्त पत्रादि (आवतियां)**

क. हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रादि (आवतियां)	
ख. जिनका उत्तर हिन्दी में दिया गया	
ग. जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया	
घ. जिनका उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था	
ड. हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में न दिए जाने का कारण	

3. **आवेदनों और अभ्यावेदनों के उत्तर**

क. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में लिखे गए आवेदनों और अभ्यावेदनों की कुल संख्या	
ख. जिनके उत्तर हिन्दी में दिये गये	
ग. जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिये गये	
घ. जिनके उत्तर द्विभाषी रूप में दिये गये	
ङ जिनका उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था	
च. आवेदनों और अभ्यावेदनों के उत्तर हिन्दी में न दिए जाने का कारण	

---

* सामान्य आदेश में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

1. ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए और स्थाई प्रकार के हों;
2. ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह के संबंध में हों; और
3. ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।

4. **अधिकारियों/कर्मचारियों के राजभाषा ज्ञान की स्थिति**
(अवर सचिव के स्तर से सचिवालय सहायक के स्तर तक के अधिकारी/कर्मचारी)

	अधिकारी	कर्मचारी	कुल संख्या
क. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या			
ख. हिन्दी में प्रवीणता और कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या			
ग. जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, उनकी संख्या			

5. **रबड़ की मोहरें तथा नाम पट्टिकाएं**

क. अनुभाग में प्रयोग की जा रही रबड़ की कुल मोहरें...

ख. इनमें से कितनी मोहरें द्विभाषी अथवा हिन्दी में हैं...

ग. अनुभाग में लगी द्विभाषी अथवा हिन्दी नाम पट्टिकाओं की संख्या ....

6. **विज्ञापन**

क. तिमाही में जारी किए गए कुल विज्ञापन ....

ख. कितने केवल हिन्दी में जारी किए गए ....

ग. कितने केवल अंग्रेजी में जारी किए गए ....

घ. कितने द्विभाषी रूप में जारी किए गए ....

7. **विभागीय बैठकें/सम्मेलन/संगोष्ठियां**

क. तिमाही में हुई विभागीय बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों की कुल संख्या	
ख. कितनी बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों की कार्यसूचियां (एजेण्डा नोट्स) हिन्दी में जारी की गईं	
ग. कितनी बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों के कार्यवृत्त (मिनट्स) हिन्दी में जारी किए गए	

8. **वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ सचिवालय सहायक/ आशुलिपिक**

क. अनुभाग में वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ सचिवालय सहायक /आशुलिपिकों की संख्या ....

ख. इनमें से हिन्दी टंकण/आशुलिपि जानने वाले वरिष्ठ सचिवालय सहायक/ सचिवालय सहायक /आशुलिपिकों की कुल संख्या ....

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर.. प्रतिहस्ताक्षर..

संबंधित अधिकारी/प्रभारी प्रभारी उप सचिव / संयुक्त निदेशक / अपर निदेशक

का नाम.. का नाम..

पदनाम.. पदनाम..

दिनांक.. दिनांक..

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र का विवरण

'क' क्षेत्र : बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली राज्य तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र

'ख' क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र

'ग' क्षेत्र : आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्णाटक, केरल, गोवा, जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, मिज़ोरम राज्य तथा लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान

यह समझा जाएगा कि किसी कर्मचारी को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, यदि उसने:-

(1) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या ऊँची परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या

(2) केन्द्रीय सरकार हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा किन्हीं विशिष्ट पदों के संबंध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

(4) वह राजभाषा नियम के संलग्न प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

प्रवीणता

किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है, यदि उसने:-

(1) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे ऊँची कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या

(2) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के बराबर या उससे ऊँची किसी परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या

(3) वह राजभाषा नियम में संलग्न प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है।